

Crime-I  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर  
सोहनलाल बनाम भानुसिंह

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

मु. नं. 15 सन्. 2022

दुवम	दुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	19.01.2022	

विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.02.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
खीवसर

11/01/22

विद्वान अधिवक्ता वादी के

निकेतन पर पत्रावली के माध्यम -

पेशा हुआ। विद्वान अधिवक्ता वादी ने निकेतन पर पत्रावली के माध्यम से राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.02.2022 को पेश हो।

*Bishnoi*  
*Identified by...*

विद्वान अधिवक्ता वादी के

निकेतन पर पत्रावली के माध्यम से राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.02.2022 को पेश हो।

रोगी

Dr. D. Singh

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिकारी महोदय खीसा।



वादी

उनाम

प्रतिवादीगण

सोहनलाल

मानुसिंह वगैरह

काद अर्धीन धारा 53, 88, 188 R.F. Act.

आवेदन वारंते पञ्जाबली आडली पेडी पर लेकर जरिये  
मान्यतरजी विड्रोवल खारिज करवाने।

उपरखण्ड इनवान में प्राणी का निम्न निवेदन है

1) यह है कि बाजा न्यायालय में उपरोक्त इनवान-  
विचारधीन-वाल रहा है किमती तारीख 22-2-22 निपर है  
उपरखण्ड इनवान में पक्षकारान के मध्य राजीनामा  
हो चुका है राजीनामानुसार काद आगे चलाना नहीं है  
2) यह है कि प्राणीकारी के पुनः काद पेश करने के लिए  
सुरक्षित रखते हुए पञ्जाबली आडली तारीख पेडी पर  
लेकर जरिये विड्रोवल खारिज करवाना चाहता है।

अतः आवेदन पेडी का निवेदन है कि उक्त  
पञ्जाबली को आडली तारीख पेडी पर लेकर जरिये  
विड्रोवल वादी के हितों को सुरक्षित रखते हुए  
रिफरमाके।

उदि दिनांक 01-02-2022

अधिकारी  
अधीन

B. Singh